संख्या-86/2023/163/2023-71-2099/28/2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 09 अगस्त, 2023**

विषयः- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत Centre for Advance Molecular Diagnostics and Research for Cancer प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विगत वर्षों में कैंसर रोग का व्यापक प्रसार देश एवं प्रदेश के लिए आर्थिक व सामाजिक कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2.45 लाख कैंसर के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस रोग की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत वार्षिक है। प्रदेश मे शराब और तम्बाकू की बढती खपत तथा जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत कैंसर का बोझ प्रतिवर्ष 3.2 प्रतिशत की दर से बढने की सम्भावना है। वर्तमान मे कुल आबादी के 01 प्रतिशत से भी कम योग्य आबादी की स्क्रीनिंग हो पाती है। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीयक/सुपर स्पेशियलिटी स्तर तक एक राज्यव्यापी तन्त्र गठित किया जाये, जिससे कि इस बीमारी से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु सुव्यवस्थित तन्त्र का विकास किया जा सके।

2- उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों को कैंसर की उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, प्रदेश में कैंसर के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शोध व नवाचार को बढ़ावा देने तथा कैंसर के परीक्षण, निदान व रोकथाम की समस्त सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर Centre for Advance Molecular Diagnostics and Research for Cancer स्थापित/प्रारम्भ किया जाय तथा इस हेतु कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ परिसर में ही 25,000 वर्गफुट निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त Centre for Advance Molecular Diagnostics and Research for Cancer को प्रारम्भ किये जाने हेतु कल्याण सिंह सुपर स्पेशिलिटी कैंसर इंस्टिट्यूट (KSSSCI), भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान कानपुर (IITK) तथा कार्किनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के मध्य होने वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न) को हस्ताक्षरित किये जाने हेतु निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

(3) इससे जुड़े अन्य अनुवर्ती निर्णयों को लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार निर्णयों का यथाशीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 (मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग)।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार।
(3) प्रमुख स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) विशेष सचिव, गोपन, उ0प्र0 शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/11/2023-सीएक्स(1), दिनांक 01.08.2023 के क्रम में।
(5) निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर।
(6) सी0ई0ओ0, कार्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेट, मुम्बई।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।